न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 01/20 दायरा दिनांक 11.02.2020

सरोज बेबा हरिबल्लभ जाति किराड निवासी सिरसोदकला तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान – वादी

बनाम

1. श्री कृष्ण पुत्र प्यारेलाल जाति किराड निवासी सिरसोद कला तहससील शाहावाद
2. कैलाश पुत्र श्री कृष्ण जाति किराड निवासी सिरसोद कला तहससील शाहावाद
3. चन्दनसिंह पुत्र श्री कृष्ण जाति किराड निवासी सिरसोद कला तहससील शाहावाद
4. फूलवती पुत्री श्री कृष्ण जाति किराड निवासी सिरसोद कला तहससील शाहावाद
5. रामप्रसाद पुत्र प्यारेलाल जाति किराड निवासी सिरसोद कला तहससील शाहावाद
6. जयलाल पुत्र प्यारेलाल जाति किराड निवासी सिरसोद कला तहससील शाहावाद
7. सरकार सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट
दावा संख्या 33/05
प्राथमिक डिक्री दिनांक–08.06.2006, अंतिम डिक्री दिनांक–23.01.2007

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते निरस्त किये जाने एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक–08.06.2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक–23.01.2007

आदेश–दिनांक 09.09.2022

उपस्थित– प्रतिवादी क्रम 6/प्रार्थी की ओर से–श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
वादी/अप्रार्थी की ओर से – श्री प्रकाश चन्द नामदेव एडवोकेट

यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी.पी.सी. अन्तर्गत प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 6 जयलाल की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त वाद माननीय न्यायालय में जैरकार था, जिसमें वादीनी द्वारा ग्राम सिरसोदखुर्द के खाता संख्या 255 की आराजी खसरा नंबर 71 रकबा 13 विस्वा, खसरा नंबर 72 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नंबर 74 रकबा 0.09 बीघा किता 3 रकबा 2.07 बीघा एवं ग्राम सिरसौदकला में खाता संख्या 191 की आराजी खसरा नंबर 15 रकबा 14.01 बीघा, खसरा नंबर 151 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नंबर 154 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 168 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 196 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नंबर 231 रकबा 31.08 बीघा, खसरा नंबर 279 रकबा 10.01 बीघा, खसरा नंबर 280 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नंबर 330 रकबा 1.04 बीघा, खसरा नंबर 372 रकबा 1.08 बीघा किता 10 रकबा 51.11 बीघा इस प्रकार कुल कि[illegible] रकबा 53.18 बीघा स्थित प्रतिवादी क्रम 1,5,6 के हिस्सा बराबर से [illegible] है जिसमें प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा है। इस आराजी में से प्रतिवादी क्रम 1 श्रीकृष्ण के हिस्से 1/3 बीघा को विवादित बताते हुये प्रतिवादी [illegible] में से वादनी का 1/5 हिस्सा 3.12 बीघा प्रथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के अनुतोष [illegible] उक्त उनवानी वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस वाद की कोई सूचना प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 6 को नहीं दी गई, न ही प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 6 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

उक्त वाद का कोई सम्मन प्राप्त हुआ। वादीनी और प्रतिवादी कम 1 जो आपस में ससुर बहू हैं, ने प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 एवं प्रतिवादी कम 5 के हिस्से को हडपने की नीयत से आपस में षडयंत्र कर प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करा–कर एकपक्षीय डिकी प्राप्त कर ली, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि उक्त वाद में चाहा गया अनुतोष प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में से था, प्रतिवादी कम 1 ता 4 के विरूद्व वाद कारण होना वादनी ने बताया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 को क्यों पक्षकार बनाया, यह भी वादनी ने नहीं दर्शाया, इसके बाद भी वादनी ने एकपक्षीय प्राथमिक व अंतिम डिकी से निर्णीत करा लिया। यह कि वादनी अपने पति की मृत्यु के कुछ समय बाद ही लखन किराड निवासी रामपुर तलहटी तहसील शाहावाद जिला बारां राज. के यहां नाता विवाह कर रहने लगी, जो दिनांक 09.04.19 को विवादित भूमि खसरा नंबर 279 का जो भाग प्रार्थी के कब्जे में है, पर आकर कहने लगी कि इस आराजी को अब में काश्त करूंगी, क्योंकि इस जमीन को अदालत ने मेरे नाम किया है, जिस पर प्रार्थी ने उससे कहा कि इस आराजी में तुम्हारे ससुर श्रीकृष्ण ने अपने हिस्से को धनवन्ती पत्नि हजारीलाल को विकय कर दिया है यह तो हमारे हिस्से की है। वादनी की इस धमकी के बाद प्रार्थी ने दिनांक 10.04.19 को हल्का पटवारी से नामान्तरकरण की नकल लेने के उपरान्त उक्त प्रकरण में पारित प्राथमिक व अंतिम डिकी की नकलें प्राप्त करने पर प्रार्थी को पहली बार ज्ञान हुआ कि उक्त डिकीयां पारित करने के पूर्व ही प्रतिवादी कम 1 विवादित आराजी में से अपने हिस्से का बेचान कर चुका था इसका अंकन विभाजन प्रस्ताव में दर्ज है। इसके बाद भी वादनी को विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में से हिस्सा न देकर प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 एवं प्रतिवादी कम 5 के हिस्से में से आराजी दे दी, जिससे प्रार्थी एवं प्रतिवादी कम 5 का हिस्सा प्रभावित हुआ है, उक्त एकपक्षीय फैसलों से न्याय की हानि हुई है, इस कारण प्रार्थी उक्त डिकीयों को निरस्त करा पुनः सुनवाई कराने का हकदार है। उक्त प्रकरण में पारित प्राथमिक तथा अंतिम डिकी का ज्ञान दिनांक 10.04.19 को नकल नामान्तरकरण लेने पर हुआ, इसके पूर्व कोई ज्ञान नहीं था, इस कारण पूर्व की डिले धारा 5 मियाद अधिनियम अन्तर्गत कन्डोन की जावे। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उक्त उनवानी वाद में पारित एकपक्षीय प्राथमिक डिकी दिनांक 08.06.2006 एवं अंतिम डिकी दिनांक 23.01.2007 को निरस्त कर प्रकरण की पुनः सुनवाई किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादनी/अप्रार्थी को तलब किया गया। वादनी/अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जबाव पेश किया गया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी का स्थित होना स्वीकार है। वादपत्र की मद नंबर 3 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी कम 1 श्रीकृष्ण का 1/3 हिस्सा 18.00 बीघा है, जिसमें वादनी का 1/5 हिस्सा 3.12 बीघा है। वादनी के पति हरिबल्लभ के जीवनकाल में ही आज से करीब 6 वर्ष पूर्व प्रतिवादी कम 1 श्रीकृष्ण ने अपने हिस्सा 1/3 का 1/5 यानि 3.12 बीघा ग्राम सिरसोदकला की आराजी 1/3 [illegible] खसरा नंबर 196 में से 5 विस्वा इस प्रकार कुल 3.12 बीघा भूमि वादनी [illegible] हक में प्रथक कर उचित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.06.06 [illegible] 23.01.07 से [illegible] है, इस कारण प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है। वादनी [illegible] संख्या 33/05 में नियमानुसार प्रतिवादी कम 1 ता 7 को पक्षकार बनाया है, जिसमें सम्मन की तामील प्रोपर हुई है। प्रतिवादीगण जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये, जिस पर न्यायालय श्रीमान ने नियम एवं कानून अनुसार न्यायोचित निर्णय व डिकी पारित की है, जिसकी उन्हे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

Scanned with CamScanner

जानकारी है। प्रतिवादी कम 6 ने 13 वर्ष के बिलम्ब से प्रार्थनपत्र पेश किया है, जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

जिला अभिलेखागार से मूल पत्रावली मंगाई गई। प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 तथा अप्रार्थी/वादनी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र का सार यह है कि प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 इस न्यायालय द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर टी एक्ट, वाद संख्या 33/05 वउनवान सरोज बनाम श्रीकृष्ण वगैरा में पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 08.06.06 तथा अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 23.01.07 को इस आधार पर निरस्त कराना चाहता है कि उक्त वाद की कोई सूचना प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 को नहीं दी गई, न ही प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 को उक्त वाद का कोई सम्मन प्राप्त हुआ। वादीनी और प्रतिवादी कम 1 जो आपस में ससुर बहू हैं, ने प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 एवं प्रतिवादी कम 5 के हिस्से को हडपने की नीयत से आपस में षडयंत्र कर प्रार्थी/प्रतिवादी कम 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करा-कर एकपक्षीय डिकी प्राप्त कर ली, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है

प्रार्थी के उक्त कथन की रूह में मूल वाद पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, उक्त वाद में ततसमय नियमानुसार प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तामील कराये गये हैं, दिनांक 19.01.2006 को प्रतिवादीकम 1 श्रीकृष्ण, 2 कैलाश व 3 चन्दनसिंह द्वारा वकायदा श्री वीरेन्द्र अग्रवाल को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर नियमानुसार वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 08.02.2006 को प्रतिवादीकम 4 फूलवती, 5 रामप्रसाद व 6 जयलाल के द्वारा श्री वीरेन्द्र अग्रवाल तथा पंकज शर्मा को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर जरिये वकालतनामा उपस्थिति दर्ज कराई गई है। वकालतनामा शामिल मिशल हैं। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादीकम 6 की ओर से उक्त उनवानी वाद में दिनांक 08.02.2006 को जरिये अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है, जो रिकार्ड से भलिभांति साबित है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादीकम 6 पर सम्मन की तामील सम्यक रूप से की गई थी, जिसकी पालना में प्रार्थी/प्रतिवादीकम 6 उक्त वाद में नियत सुनवाई तिथि को अपने अधिवक्ता के जरिये स्वयं उपसंजात हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादीकम 6 की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते निरस्त किये जाने एकपक्षीय प्राथमिक डिकी दिनांक 08.06.06 एवं अन्तिम डिकी दिनांक 23.01.07 विधिक प्रावधानों के विपरीत तथा सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner